पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2018–2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–20] रुड़की, शनिवार, दिनांक 05 जनवरी, 2019 ई0 (पौष 15, 1940 शक सम्वत्) [संख्या–01

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	—	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	01–05	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	01–14	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	—	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़–पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	—	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	—	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	—	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	—	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	—	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	—	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़–पत्र आदि ...	—	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

तकनीकी शिक्षा विभाग

कार्यालय ज्ञाप

15 दिसम्बर, 2018 ई0

संख्या 1237/XLI–1/2018–84/2018–रिट याचिका संख्या 484/2016 (एसबी), पंकज कुमार सैलानी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य एवं समान प्रकृति के 09 अन्य रिट याचिकाओं, रिट याचिका संख्या 471/2016, रिट याचिका संख्या 483/2016, रिट याचिका संख्या 485/2016, रिट याचिका संख्या 486/2016, रिट याचिका संख्या 501/2016, रिट याचिका संख्या 503/2016, रिट याचिका संख्या 502/2016, रिट याचिका संख्या 500/2016 एवं रिट याचिका संख्या 409/2017, जो पॉलिटेक्निक संस्थाओं में संविदा पर तैनात शिक्षकों को दैनिक वेतन, कार्यप्रभारित, संविदा, नियत वेतन, अंशकालिक तथा तदर्थ रूप से नियुक्त कार्मिकों का विनियमितीकरण नियमावली, 2013 के अनुसार विनियमितीकरण किए जाने से सम्बन्धित हैं, में मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल की युगल पीठ द्वारा दिनांक 14.06.2018 को निम्न निर्णय पारित किया गया:–

Accordingly, the writ petitions are allowed, Impugned orders are quashed and set aside. The respondents are directed to regularize the petitioners as Lecturers by ignoring the artificial/fictional breaks given to them, within a period of ten weeks from today.

Needless to add, the petitioners shall also be entitled to minimum pay scale being paid to the Lecturers on the principle of "equal pay for equal work".

Pending application, if any, stands disposed of accordingly.

2. मा0 उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय के विरूद्ध राज्य सरकार द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में विशेष अनुज्ञा याचिका दाखिल की गई। मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा उक्त विशेष अनुज्ञा याचिका में दिनांक 08.10.2018 को आदेश पारित किया गया है, जिसका कार्यकारी अंश निम्नवत् है:–

"Mr. Tushar Mehta, learned Additional Solicitor General, has submitted that some of the incumbents are not qualified. There were other objections also which have not been considered by the High Court, as such the petitioners want to file. review petition before the High Court with respect to that.

In case necessity so arises, they are free to assail impugned order again in this Court. The petitioners are given liberty to file review petition and in case review petition is filed, the High Court is requested to decide the same as expeditiously as possible.

In view of the above, the special leave petitions and pending applications stand disposed of."

3. मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के उक्त आदेश के अनुपालन में मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिका संख्या 1446/2018, 1490/2018, 1491/2018, 1492/2018, 1493/2018, 1494/2018, 1495/2018, 1496/2018, 1497/2018 एवं 1498/2018 योजित की गई, जो वर्तमान में मा0 उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। याचीगण द्वारा मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल में अवमानना वाद संख्या–636/2018, 639/2018, 640/2018, 641/2018, 687/2018, 688/2018, 690/2018, 691/2018, 692/2018 (09 अवमानना याचिकाएँ) योजित की गई, जिसमें Short Response Affidavit दाखिल किया गया। श्री जगदीश सिंह बिष्ट, ब्रीफ होल्ड, महाधिवक्ता कार्यालय, मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल के पत्र दिनांक 14.12.2018 द्वारा निम्नवत् अवगत कराया गया है:–

"Today the matter was listed before the Hon'ble Court and after considering the short response cum counter affidavit though the response cum counter affidavit was taken on record by the Hon'ble Court but the Hon'ble Court not satisfied by the short response affidavit and observed that mere filing of Review will not suffice and the fact remains that orders is still not complied with. Hence the Hon'ble Court passed an order directing the respondent to present in person before the Hon'ble Court on 18.12.2018 explaining why the charges may not be framed for not complying the order dated 14.06.2018."

अतः उपरोक्तानुसार मा0 उच्च न्यायालय में योजित अवमानना याचिकाओं तथा मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल के आदेश दिनांक 14.06.2018 के अनुपालन में श्री पंकज कुमार सैलानी, श्री राजेन्द्र सिंह जंगवाण, श्री अंकित तिवारी, श्री ऋषिभूषण, श्री सोमनाथ टोडरिया, श्री नवीन चन्द्र, श्री सुधीर सिंह पंवार, श्री पूरण सिंह राणा एवं श्री विक्रम सिंह नेगी को सम्बन्धित विषयों के व्याख्याता के पदों पर दिनांक 20.08.2018 से इस शर्त के अधीन विनियमित किया जाता है कि यह विनियमितीकरण मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या 25919–25928/2018 में पारित आदेश दिनांक 08.10.2018 के क्रम में मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 14.06.2018 के विरूद्ध मा0 उच्च न्यायालय में योजित पुनर्विचार याचिकाओं में पारित होने वाले तथा रिट याचिका संख्या 616/2018(एसबी), नरेन्द्र सिंह बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में विनियमितीकरण नियमावली, 2013 के सम्बन्ध में पारित होने वाले आदेश/निर्णय के अधीन रहेगा।

विज्ञप्ति

21 दिसम्बर, 2018 ई0

संख्या 1251/XLI–1/2018–100/2017–प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत श्रेणी 'क' के निम्नलिखित कार्मिक, उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि को 60 वर्ष की अधिवर्षता की आयु पूर्ण करने के पश्चात् वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–2, भाग–2 से 4 के मूल नियम 56(क) के प्रावधानानुसार सेवानिवृत्त हो जायेंगे:–

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम	पदनाम/संस्था का नाम	सेवानिवृत्ति की तिथि
1.	श्री मनोरंजन कुमार सिंह	विभागाध्यक्ष/रा0पा0, नैनीताल	31.01.2019

ओम प्रकाश,
अपर मुख्य सचिव।

गृह अनुभाग–1

अधिसूचना

प्रकीर्ण

27 नवम्बर, 2018 ई0

संख्या 976/XX(1)/2018–03(10)2011–गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 685/XX(1)/76/पी0पी0एस0/2007, दिनांक 27 अगस्त, 2009 द्वारा प्रख्यापित 'उत्तराखण्ड पुलिस सेवा नियमावली, 2009' के परिशिष्ट–क में उल्लिखित प्रान्तीय पुलिस सेवा संवर्ग में सृजित पदों की संख्या को निम्नानुसार संशोधित किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

क्र0 सं0	पदनाम	पे–बैंड/ग्रेड वेतन		पुनरीक्षित वेतनमान	स्थाई पदों की संख्या	अस्थाई पदों की संख्या	कुल पदों की संख्या
		पे–बैंड	ग्रेड वेतन				
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अपर पुलिस अधीक्षक, विशेष श्रेणी	37,400–67,000	8,700	1,18,500–2,14,100 लेवल–13	04	–	04
2.	अपर पुलिस अधीक्षक, श्रेणी–1	15,600–39,100	7,600	78,600–2,09,200 लेवल–12	09	–	09
3.	अपर पुलिस अधीक्षक, श्रेणी–2	15,600–39,100	6,600	67,700–2,08,700 लेवल–11	19	–	19
4.	पुलिस उपाधीक्षक, ज्येष्ठ वेतनमान	15,600–39,100	6,600	67,700–2,08,700 लेवल–11	20	01	21

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	पुलिस उपाधीक्षक, कनिष्ठ वेतनमान	15,600–39,100	5,400	56,100–1,77,500, लेवल–10	81	09	90
	योगः–				133	10	143

2. उक्त अधिसूचना संख्या 685/XX(1)/76/पी0पी0एस0/2007, दिनांक 27 अगस्त, 2009 की शेष शर्तें/प्राविधान यथावत् रहेंगे।

आज्ञा से,

आनन्द बर्द्धन,
प्रमुख सचिव।

सिंचाई अनुभाग–1

कार्यालय ज्ञाप

18 दिसम्बर, 2018 ई0

संख्या 2445/II(1)–2018–01(73)/2017–नियमित चयनोपरान्त कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से श्री मोहन चन्द्र पाण्डे, अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) की वेतनमान मैट्रिक्स लेवल 13क–₹ 1,31,100–2,16,600 में मुख्य अभियन्ता, स्तर–2 (सिविल) के पद पर पदोन्नति के उपरान्त एतद्द्वारा उन्हें मुख्य अभियन्ता, स्तर–2, हल्द्वानी में पदस्थापित किया जाता है।

2. उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

आनन्द बर्द्धन,
प्रमुख सचिव।

वित्त अनुभाग–1

अधिसूचना/नियुक्ति

04 दिसम्बर, 2018 ई0

संख्या 1238/10(150)/XXVII(1)/2018–उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित शोध अधिकारी चयन परीक्षा–2017 के आधार पर वित्त विभाग के अन्तर्गत बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड में शोध अधिकारी, वेतनमान ₹ 15,600–39,100, ग्रेड वेतन ₹ 5,400/– (पुनरीक्षित वेतन संरचना के मैट्रिक्स में स्तर–10) के पद पर नियुक्ति हेतु संस्तुत श्री राजीव सिंह राणा को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थाई रूप से नियुक्त करते हुए दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्त नियुक्ति पूर्णतया अस्थाई एवं औपबन्धिक है तथा यदि स्वास्थ्य परीक्षण, शैक्षिक अर्हता तथा आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण–पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके सम्बन्ध में कोई भी प्रतिकूल तथ्य पाया जाता है तो यह नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी।

3. उक्त पद की सेवाएँ उत्तराखण्ड बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय सेवा नियमावली, 2006, उत्तराखण्ड बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय (संशोधन) सेवा नियमावली, 2012 तथा शासन के द्वारा समय–समय पर निर्धारित की जाने वाली सेवा शर्तों से विनियमित होगी।

4. सम्बन्धित कार्मिक को उक्त वेतनमान के साथ–साथ राज्य सरकार द्वारा अनुमन्य भत्ते एवं समय–समय पर स्वीकृत किए जाने वाले अन्य भत्ते भी देय होंगे।

5. श्री राजीव सिंह राणा द्वारा प्रश्नगत पद पर योगदान देते समय इण्डियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, 1923 के प्रावधानों को पढ़े जाने सम्बन्धी प्रमाण–पत्र स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र तथा एक से अधिक जीवित पत्नी न होने का घोषणा/शपथ–पत्र दिया जाना होगा।

6. समस्त चल एवं अचल सम्पत्ति की घोषणा, जिसके श्री राणा स्वामी हो।

7. दो राजपत्रित ऐसे अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों किन्तु उनके सम्बन्धी न हो, द्वारा प्रस्तुत चरित्र प्रमाण–पत्र, शैक्षिक योग्यता, आयु, जाति प्रमाण–पत्र एवं निवास प्रमाण–पत्र से सम्बन्धी मूल प्रमाण–पत्र योगदान आख्या देते समय प्रस्तुत किया जाना होगा।

आज्ञा से,

अमित सिंह नेगी,
सचिव।

आयुष एवं आयुष शिक्षा अनुभाग

अधिसूचना

14 दिसम्बर, 2018 ई0

संख्या 1680/XXXX/2018–18/2004–आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के आदेश संख्या–K.11027/2/2007–DCC(AYUSH), दिनांक 04 जनवरी, 2008 के क्रम में, श्री राज्यपाल महोदय, औषधि एवं प्रसाधन नियमावली, 1945 के नियम–154(2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयुर्वेदिक एवं औषधि के विनिर्माण अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) जारी किए जाने हेतु आयुष एवं आयुष शिक्षा विभाग द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या–431/XXXX/2018–18/2004, दिनांक 12 अप्रैल, 2018 के द्वारा गठित विशेषज्ञों का पैनल, जिसका कार्यकाल दिनांक 21.09.2018 को समाप्त हो गया है, के स्थान पर नवीन विशेषज्ञों का पैनल आदेश निर्गत होने की तिथि से एक वर्ष के लिए निम्नानुसार गठित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1.	राज्य औषधि अनुज्ञापन अधिकारी, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवाएँ, उत्तराखण्ड, देहरादून	अनुज्ञापन अधिकारी	–	अध्यक्ष
2.	डा0 (प्रो0) दिनेश चन्द्र सिंह, विभागाध्यक्ष, द्रव्यगुण विभाग, ऋषिकुल आयुर्वेद कॉलेज, हरिद्वार	द्रव्यगुण विशेषज्ञ	–	सदस्य
3.	डा0 (प्रो0) सुषमा रावत, रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पक, ऋषिकुल आयुर्वेद कॉलेज, हरिद्वार	रस शास्त्र विशेषज्ञ	–	सदस्य
4.	डा0 दीपक सेमवाल, एम0एस0सी0, पी0एच0डी0 (आर्गेनिक कैमेस्ट्री) उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय, देहरादून	कैमेस्ट्री एक्सपर्ट	–	सदस्य
5.	डा0 अशोक कुमार शर्मा, दून आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, देहरादून	चिकित्साभ्यासी	–	सदस्य
6.	डा0 डी0 डी0 बघानी, सहायक औषधि नियंत्रक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवाएँ, उत्तराखण्ड, देहरादून	औषधि नियंत्रण तंत्र	–	सदस्य सचिव

आज्ञा से,

आर0 के0 सुधांशु,
सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 01 हिन्दी गजट/02–भाग 1–2019 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की।

पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2018–2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 05 जनवरी, 2019 ई0 (पौष 15, 1940 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL

NOTIFICATION

November 26, 2018

No. 347/UHC/Stationery–The High Court will remain closed on 31/12/2018 (Monday) and in lieu thereof the Court will remain open on 01/12/2018 (Saturday).

By Order of Hon'ble the Court,
Sd/-
PRADEEP PANT,
Registrar General.

NOTIFICATION

November 26, 2018

No. 348/XIV-a/28/Admin.A/2012–Ms. Ritika Semwal, 2nd Additional Civil Judge (Sr. Div.), Hardwar is hereby sanctioned earned leave for 19 days *w.e.f.* 22.10.2018 to 09.11.2018 with permission to prefix 21.10.2018 as Sunday holiday and suffix 10.11.2018 & 11.11.2018 as holidays.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,
Sd/-
Registrar (Inspection).

NOTIFICATION

December 03, 2018

No. 369/UHC/Admin.A/2018–Hon'ble Shri Justice Narayan Singh Dhanik, has assumed charge of the office of Judge of the High Court of Uttarakhand on **3rd December, 2018 at 9:30 A.M. *vide* Notification No. K.13032/02/2018-US.I, dated 30.11.2018** issued by Government of India, Ministry of Law & Justice (Department of Justice).

NOTIFICATION

December 03, 2018

No. 370/UHC/Admin.A/2018–Hon'ble Shri Justice Ramesh Chandra Khulbe, has assumed charge of the office of Judge of the High Court of Uttarakhand on **3rd December, 2018 at 9:30 A.M. *vide* Notification No. K.13032/02/2018-US.I, dated 30.11.2018** issued by Government of India, Ministry of Law & Justice (Department of Justice).

NOTIFICATION

December 03, 2018

No. 371/UHC/Admin.A/2018–Hon'ble Shri Justice Ravindra Maithani, has assumed charge of the office of Judge of the High Court of Uttarakhand on **3rd December, 2018 at 9:30 A.M. *vide* Notification No. K.13032/02/2018-US.I, dated 30.11.2018** issued by Government of India, Ministry of Law & Justice (Department of Justice).

Sd/-
PRADEEP PANT,
Registrar General.

NOTIFICATION

December 03, 2018

No. 372/XIV-a/28/Admin.A/2016–Ms. Meenakshi Sharma, 3rd Additional Civil Judge (Jr. Div.), Hardwar is hereby sanctioned earned leave for 11 days *w.e.f.* 01.11.2018 to 11.11.2018.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,
Sd/-
Registrar (Inspection).

NOTIFICATION

December 03, 2018

No. 373/UHC/Admin.A/2018–In terms of the sub-rule (1) of Rule 3 of **"The Designation of Senior Advocate Rules, 2018"**, Sri Tanveer Alam Khan, designated Senior Advocate of the Court is hereby nominated as a member of the Permanent Committee under the Senior Advocates' category for designation of Senior Advocates.

By Order of Hon'ble the Chief Justice,
Sd/-
PRADEEP PANT,
Registrar General.

कार्यालय आयुक्त गढ़वाल मण्डल, पौड़ी

पंचायती राज विभाग

17 दिसम्बर, 2018 ई0

संख्या 412/23–6(19)(2017–2018)–जिला पंचायत देहरादून द्वारा उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 239(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, जिला पंचायत, देहरादून अपने अधिकार क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाले ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत लदान–ढुलान में आंशिक संशोधित उपविधि बनाई गई है।

अतएव, अधिनियम की धारा 242(2) की अपेक्षानुसार आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी उक्त उपविधि की शासकीय गजट में प्रकाशनार्थ पुष्टि करते है। यह उपविधि उत्तराखण्ड के शासकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (यथासंशोधित 2012) की धारा 239(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, जिला पंचायत देहरादून के ग्रामीण क्षेत्रों के अन्तर्गत लदान–ढुलान हेतु उपविधियाँ बनाई गई, जो कि शासकीय गजट में प्रकाशित दिनांक 16 जून, 2012 से प्रभावी है। उपविधियों में आंशिक संशोधन करते हुए उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम, 2016 (अधिनियम सं0–11, वर्ष 2016) की धारा 106 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, जनता/संस्था से 30 दिन के अन्दर आपत्ति आमंत्रित करने हेतु प्रकाशित की जा रही है, समयावधि के उपरान्त आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा।

उपविधियाँ

1. ये उपविधियाँ जिला पंचायत देहरादून की लदान–ढुलान तथा जनसाधारण की सुरक्षा एवं सुविधा उपविधियाँ, 2017 कहलाई जायेगी।
2. ये उपविधियाँ विधिपूर्वक पुष्टि होने के उपरान्त सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रभावी होगी।
3. ये उपविधियाँ जनपद देहरादून के राष्ट्रीय राजमार्ग को छोड़कर ग्रामीण क्षेत्रो में लागू होगी।
4. परिभाषाएँ–इन उपविधियों में–
   (1) ग्रामीण क्षेत्र–ग्रामीण क्षेत्रों का अर्थ, उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम, 2016 (अधिनियम सं0–11, वर्ष 2016) की धारा 106 में दी गई परिभाषाओं के अनुसार होगी।
   (2) पशु बाजार या मेला या जनसाधारण के उपयोग में आने वाला सामान जहाँ से निश्चित अड्डे बनाकर जिला पंचायत अड्डे संचालित करेगी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ से भी विभिन्न सामान का लदान–ढुलान होगा, वे क्षेत्र में सम्मिलित होगी।
   (3) सार्वजनिक स्थान–सार्वजनिक स्थानों से तात्पर्य, उस स्थान अथवा अन्य स्थानों से है, जहाँ जनसाधारण का आगमन होता हो।
   (4) वाहन का तात्पर्य, यात्रिक वाहनों से है, जो लदान–ढुलान में प्रयोग किए जाते हैं।
5. इन उपविधियों के अन्तर्गत जो भी वाहन जनपद देहरादून के ग्रामीण क्षेत्रों में जन उपयोग सामान का लदान–ढुलान में चलाया जा रहा हो अथवा इस प्रयोजनार्थ चलने की शंका हो उसे तलाशी हेतु इन उपविधियों के निम्न अनुसूची–1 के अनुसार शुल्क भुगतान करने हेतु रोका जा सकता है। ऐसे वाहन के मालिक/मालिकों को निर्धारित शुल्क के साथ दण्ड की धनराशि का भुगतान करना होगा। जो वाहन निर्धारित शुल्क का भुगतान नहीं करेगा अथवा उपरोक्तानुसार रोकने पर निर्धारित अड्डों पर नहीं रूकेगा, ऐसे वाहन स्वामी के विरूद्ध अध्यक्ष, अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत पुलिस बल प्रयोग कर सकते हैं।

   टिप्पणी–वाहन मालिक का तात्पर्य, उस व्यक्ति से है, जो वाहन चला रहा हों अथवा वाहन में बैठकर उसे नियंत्रित कर रहा हो।
6. जब तक निम्न सूची के अनुसार निर्धारित शुल्क अदा नहीं किया जायेगा। कोई भी वाहन पशु बाजारों, मेलों अथवा जिला पंचायत द्वारा निर्दिष्ट स्थानों से किसी वाहन से लदान–ढुलान नहीं करेगा।
7. जिला पंचायत देहरादून द्वारा अथवा उसके द्वारा निर्दिष्ट एजेन्सीयों या ठेकेदारों द्वारा निर्दिष्ट स्थान अथवा यातायात सुविधा विषयक व्यवस्था की जायेगी। इस व्यवस्था के अन्तर्गत निर्धारित शुल्क की अदायगी के उपरान्त।

8. जिला पंचायत ऐसे स्थान, स्टैण्ड या अड्डों के निर्धारण की आवश्यक व्यवस्था करेगी तथा वाहन के लदान–ढुलान हेतु जिला पंचायत देहरादून, अड्डा बनायेगी। वाहन से सम्बन्धित व्यक्तियों के पानी पीने के लिए ठण्डे पानी की व्यवस्था करेगी, आवश्यकतानुसार अड्डों पर छाया की व्यवस्था भी करेगी एवं विभिन्न सामान जैसे–नदियों के किनारे पत्थरों का लदान–ढुलान आदि व्यवस्थित करने हेतु रास्तों की समुचित व्यवस्था/मरम्मत भी करेगी।

9. इन उपविधियों के अन्तर्गत कोई भी वाहन किसी भी समय और किसी भी गली में जैसे ऊपर कहा गया है, निर्दिष्ट अड्डे के सिवाय जो कि इस परियोजना हेतु निश्चित है, के अलावा खड़ा नहीं करेगा और उसे खड़ा करने हेतु निर्धारित शुल्क भुगतान करेगा।

10. जिला पंचायत देहरादून जनसुरक्षा, सुविधा व जनसाधारण की असुविधा को दूर करने हेतु जो भी उचित/आवश्यक समझे, वह गलियों में ऐसे यातायात के नियंत्रण हेतु और स्थान निश्चित करेंगे और उसके विषय में आवश्यक हिदायतें जारी करेंगे, जो कि इन उपविधियों के अन्तर्गत सभी वर्णित वाहनों, उनके वाहन स्वामी/चालकों पर बन्धनकारी होंगे। अड्डों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जनता की सुविधा एवं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्थानान्तरित करने का अधिकार अध्यक्ष, जिला पंचायत का होगा।

11. जिला पंचायत के अधिकारियों (जिनका वर्णन जिला पंचायत अधिनियम में है) को अधिकार होगा कि वह मोटर व्हीकल एक्ट के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारियों को मोटर व्हीकल एक्ट के प्राविधानों के उल्लंघनों के बारे में और नियमों के उल्लंघन के बारे में सम्बन्धित अधिकारियों को सूचित करें और उचित कार्यवाही की मांग करें।

12. जिला पंचायत, देहरादून स्टैण्ड/अड्डा या ठहरने के स्थान, जो भी इन उपविधियों में ऊपर वर्णित है, के शुल्क को घटाने या बढ़ाने या किसी विशिष्ट श्रेणी के वाहनों को किसी विशिष्ट समय या अन्य के लिए छूट दे सकती है। किसानों द्वारा निजी कृषि कार्य के उपयोग के प्रयोग में लिए जा रहे वाहन इन उपविधियों के शुल्क से मुक्त होंगे।

13. कथित शुल्क की वसूली जिला पंचायत देहरादून द्वारा इस कार्य हेतु अधिकृत किसी भी अधिकारी या कर्मचारी या व्यक्ति द्वारा सीधे अथवा किसी निश्चित अवधि के लिए सार्वजनिक नीलामी द्वारा ठेके पर दे कर कराई जा सकती है।

टिप्पणीः–नीलामी द्वारा ठेके पर ठेकेदार द्वारा वसूली करने की दशा में अध्यक्ष, अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत को यह समाधान रहे, जिसके लिए वह ठेकेदार से नियमानुसार अनुबन्ध तहरीर एवं पंजीकृत करायेगा, जिस पर होने वाला कुल व्यय सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा वहन किया जायेगा।

अध्यक्ष, जिला पंचायत को पूर्ण अधिकार रहेगा कि वह इन उपविधियों को प्रभावी एवं बन्धनकारी करने के लिए हर दशा में इस उल्लंघन को रोकने हेतु जिला स्तर के अधिकारियों की सहायता से, जैसा वह उचित समझें स्वतंत्र रूप से या उल्लंघन के लिए जो दण्ड निर्धारण है, उसका उपयोग करें।

क्र0 सं0	वाहन का नाम	पूर्व में स्वीकृत लदान/ढुलान शुल्क	वर्तमान में संशोधित लदान/ढुलान शुल्क
1.	मिनी ट्रक	₹ 30/–	₹ 50/–
2.	ट्रैक्टर	₹ 30/–	₹ 50/–
3.	ट्रक	₹ 50/–	₹ 100/–
4.	आठ टायर वाला बड़ा ट्रक	₹ 50/–	₹ 150/–

दण्ड

उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम, 2016 (अधिनियम सं0–11, वर्ष 2016) की धारा 106 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों के द्वारा यह हिदायत दी जाती है कि उन उपविधियों के पूर्ण रूप से अथवा किसी अंश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति से अर्थ दण्ड वसूल किया जायेगा, जो ₹ 2000/– तक हो सकता है और जब तक यह उल्लंघन चलता रहे तो प्रथम सजा के बाद ₹ 100/– प्रतिदिन जब तक कि अपराध चले, अर्थ दण्ड लिया जायेगा तथा यदि यह समाधान हो जाय कि अपराधी उपविधियों का उल्लंघन करने का आदी है, तो उसे तीन माह तक की कैद की सजा भी दी जा सकती है।

शैलेश बगोली,
आयुक्त,
गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।

ह0 (अस्पष्ट),
अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत, देहरादून।

कार्यालय–राज्य कर आयुक्त, उत्तराखण्ड
(विधि–अनुभाग)

03 दिसम्बर, 2018 ई0

ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्य0), राज्य कर,
देहरादून/हरिद्वार/रुड़की/रुद्रपुर/हल्द्वानी सम्भाग।

पत्रांक 6070/रा0कर आयु0 उत्तरा0/रा0क0मु0/विधि–अनुभाग/18–19/देहरादून–उत्तराखण्ड शासन, वित्त अनुभाग 8 द्वारा जारी अधिसूचना संख्याएँ 1052/2018/10(120)/XXVII(8)/2018/CTR–56; 1053/2018/10(120)/XXVII(8)/2018/CTR–57 एवं 1054/2018/10(120)/XXVII(8)/2018/CTR–58 समदिनांकित 22 नवम्बर, 2018 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिनके द्वारा क्रमशः नैमित्तिक कराधेय व्यक्तियों के प्रवर्गों को विनिर्दिष्ट करने जिन्हें उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अधीन रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त करने से छूट है; अधिसूचना संख्या 858, दिनांक 27 सितम्बर, 2018 में अग्रेत्तर संशोधन किए जाने तथा व्यक्तियों, जिनका रजिस्ट्रीकरण उक्त अधिनियम के अधीन उचित अधिकारी द्वारा 30 सितम्बर, 2018 को या उसके पूर्व निरस्त कर दिया गया है, व्यक्तियों के वर्ग के रूप में अधिसूचित करने, जो उत्तराखण्ड माल और सेवा कर नियम के प्ररूप जीएसटीआर–10 में अन्तिम विवरणी 31 दिसम्बर, 2018 तक दाखिल करना अधिसूचित किया गया है।

उपरोक्त अधिसूचनाओं की प्रति इस आशय से प्रेषित है कि उक्त की अतिरिक्त प्रतियाँ कराकर अपने अधीनस्थ समस्त कर–निर्धारण अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु तथा बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों/व्यापारी संगठनों के अध्यक्ष/सचिव को सूचनार्थ उपलब्ध कराने तथा आदेश की प्रति अधीनस्थ कार्यालयों को उपलब्ध कराते हुए, नियमानुसार कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करें।

वित्त अनुभाग–8
अधिसूचना

22 नवम्बर, 2018 ई0

संख्या 1052/2018/10(120)/XXVII(8)/2018/CT–56–चूँकि, राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 06), जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त अधिनियम" कहा गया है, की धारा 23 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और परिषद् की सिफारिशों पर उत्तराखण्ड शासन, वित्त अनुभाग–8 की अधिसूचना सं0 801/2017/9(120)/XXVII(8)/2017, दिनांक 12 अक्टूबर, 2017, को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया था या करने का लोप किया गया था, नैमित्तिक कराधेय व्यक्तियों के प्रवर्गों को (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'ऐसे व्यक्ति' कहा गया है) विनिर्दिष्ट करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, जिन्हें उक्त अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त करने से छूट होगी–

(i) ऐसे व्यक्ति, जो ऐसे हस्तशिल्प माल की अन्तरराज्यिक कराधेय पूर्ति कर रहे हैं, जो उत्तराखण्ड शासन, वित्त अनुभाग–8 की अधिसूचना सं0 731/2018/5(120)/XXVII(8)/CTR–21, दिनांक 20 अगस्त, 2018, के "स्पष्टीकरण" में परिभाषित है और उक्त अधिसूचना में अंतर्विष्ट सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट अध्याय, शीर्ष, उपशीर्ष या टैरिफ मद के अधीन आते हैं और जिनका विवरण उक्त अधिसूचना की सारणी के स्तम्भ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट है; या

(ii) ऐसे व्यक्ति, जो नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (2) में वर्णित और उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित नाम पद्धति (एचएसएन) कूट की सुमेलित पद्धति के उत्पादों की अंतर्राज्यिक कराधेय पूर्ति कर रहे हैं के, जब शिल्पकारों द्वारा उत्पाद का प्रमुख रूप से निर्माण हाथ द्वारा किया जाए, तथापि इस प्रक्रिया में कुछ मशीनों का भी उपयोग किया जा सकेगाः–

सारणी

क्र0 सं0	उत्पाद	एचएसएन कोड
1	2	3
1.	चमड़े की वस्तुएँ (जिनके अन्तर्गत थैला, पर्स, जीनसाजी, साज, वस्त्र भी है)	4201, 4202, 4203
2.	उत्कीर्णित काष्ठ उत्पाद (जिनके अन्तर्गत सन्दूक, जड़ाऊ कार्य, डिब्बे, पीपा भी है)	4415, 4416
3.	उत्कीर्णित काष्ठ उत्पाद, (जिनके अन्तर्गत टेबल और रसोई बर्तन भी है)	4419
4.	उत्कीर्णित काष्ठ उत्पाद	4420
5.	काष्ठ के घुमावदार और रलाक्षबर्तन	4421
6.	बांस उत्पाद (सजावटी और उपयोगी वस्तुएँ)	46
7.	तृण, पत्तियाँ और सरकंडा तथा फाइबर उत्पाद, चटाई, थैलियाँ, पेटियाँ	4601, 4602
8.	कागज मेश की वस्तुएँ	4823
9.	टैक्सटाइल (हथकरघा उत्पाद)	जिनके अन्तर्गत 50, 58, 62, 63 भी है
10.	टैक्सटाइल हस्तमुद्रण	50, 52, 54
11.	जरी धागा	5605
12.	कालीन, रग और दरी	57
13.	टैक्सटाइल, हस्त कशीदाकारी	58
14.	थिएटर पोशाक	61, 62, 63
15.	कयर उत्पाद (जिनके अन्तर्गत चटाइयाँ, गद्दे भी हैं)	5705, 9404
16.	चमड़े का जूता	6403, 6405
17.	उत्कीर्णित प्रस्तर उत्पाद (जिनके अन्तर्गत प्रतिमा, लघु प्रतिमा, जन्तुओं की आकृति, लेखन सेट, एस्ट्रे, मोमबत्ती दान भी है)	6802
18.	प्रस्तर जड़ाऊ कार्य	68
19.	मिट्टी के बर्तन तथा मृत्तिका उत्पाद, जिसके अन्तर्गत टैराकोटा भी है	6901, 6909, 6911, 6912, 6913, 6914
20.	धातु टेबल तथा रसोई बर्तन (ताम्र, पीतल के बर्तन)	7418
21.	अध्याय 73 और 74 की धातुओं के सज्जीकरण के लिए प्रयुक्त किस्म की धातु की मूर्तियाँ, प्रतिमा/मूर्तिदान, कलश और क्रॉस	8306
22.	धातु बिदरीवेयर	8306
23.	संगीत वाद्य यंत्र	92
24.	सींग और अस्थि उत्पाद	96
25.	शंख सीपी शिल्प वस्तुएँ	96
26.	बांस फर्नीचर, केन/बेंत के फर्नीचर	94
27.	गुड़िया और खिलौने	9503
28.	लोक चित्रकारी मधुबनी, पतचित्रा, राजस्थानी लघु चित्र आदि	97

परन्तु ऐसे व्यक्ति अधिसूचना सं0 03/2018–एकीकृत कर, तारीख 22 अक्तूबर, 2018, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा0का0नि0 सं0 1052 (अ), तारीख 22 अक्तूबर, 2018 द्वारा में प्रकाशित की गई थी, का लाभ उठा रहे हैं।

परंतु यह और कि अखिल भारतीय आधार पर संगणित किए जाने वाले ऐसी पूर्तियों का संकलित मूल्य उस संकलित आवर्त की रकम से अधिक नहीं होगा, जिसके ऊपर कोई पूर्तिकार उक्त अधिनियम की धारा 22 के स्पष्टीकरण के खंड (iii) के साथ पठित उस धारा की उपधारा (1) के अनुसार राज्य में रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी है।

2. पूर्ववर्ती पैरा में वर्णित ऐसे व्यक्ति स्थाई लेखा संख्यांक अभिप्राप्त करेंगे और उत्तराखण्ड माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 138 के उपबंधों के अनुसार ई–वे बिल सृजित करेंगे।

3. यह अधिसूचना दिनांक 23 अक्टूबर, 2018 से प्रवृत्त होगी।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification **No. 1052/2018/10(120)/XXVII(8)/2018/CT-56**, dated November 22, 2018 for general information.

NOTIFICATION

November 22, 2018

No. 1052/2018/10(120)/XXVII(8)/2018/CT-56—WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 23 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (06 of 2017) (hereinafter referred to as the "said Act"), the Governor, on the recommendations of the Council and in supersession of the notification of Government of Uttarakhand Finance section-8, No. 801/2017/9(120)/XXVII(8)/2017, dated 12th October, 2017; except as respects things done or omitted to be done before such supersession, hereby specifies the categories of casual taxable persons (hereinafter referred to as 'such persons'), who shall be exempted from obtaining registration under the said Act–

(i) such persons making inter-state taxable supplies of handicraft goods as defined in the *"Explanation"* in notification of Government of Uttarakhand Finance section-8, No. 731/2018/5(120)/XXVII(8)/CTR-21, Dated 20th August, 2018 and falling under the Chapter, Heading, Sub-heading or Tariff item specified in column (2) of the Table contained in the said notification and the Description specified in the corresponding entry in column (3) of the Table contained in the said notification;

or

(ii) such persons making inter-State taxable supplies of the products mentioned in column (2) of the Table below and the Harmonised System of Nomenclature (HSN) code mentioned in the corresponding entry in column (3) of the said Table, when made by the craftsmen predominantly by hand even though some machinery may also be used in the process :–

Table

Sl. No.	Products	HSN Code
(1)	(2)	(3)
1.	Leather articles (including bags, purses, saddlery, harness, garments)	4201, 4202, 4203
2.	Carved wood products (Including boxes, inlay work, cases, casks)	4415, 4416
3.	Carved wood products (including table and kitchenware)	4419

(1)	(2)	(3)
4.	Carved wood products	4420
5.	Wood turning and lacquer ware	4421
6.	Bamboo products [decorative and utility items]	46
7.	Grass, leaf and reed and fibre products, mats, pouches, wallets	4601, 4602
8.	Paper mache articles	4823
9.	Textile (handloom products)	Including 50, 58, 62, 63
10.	Textiles hand printing	50, 52, 54
11.	Zari thread	5605
12.	Carpet, rugs and durries	57
13.	Textiles hand embroidery	58
14.	Theatre costumes	61, 62, 63
15.	Coir products (including mats, mattresses)	5705, 9404
16.	Leather footwear	6403, 6405
17.	Carved stone products (including statues, statuettes, figures of animals, writing sets, ashtray, candle stand)	6802
18.	Stones inlay work	68
19.	Pottery and clay products, including terracotta	6901, 6909, 6911, 6912, 6913, 6914
20.	Metal table and kitchen ware (copper, brass ware)	7418
21.	Metal statues, images/statues vases, urns and crosses of the type used for decoration of metals of Chapters 73 and 74	8306
22.	Metal bidriware	8306
23.	Musical instruments	92
24.	Horn and bone products	96
25.	Conch shell crafts	96
26.	Bamboo furniture, cane/Rattan furniture	94
27.	Dolls and toys	9503
28.	Folk paintings, Madhubani, Patchitra, Rajasthani miniature	97

Provided that such persons are availing the benefit of notification No. 03/2018–Integrated Tax, dated the 22nd October, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Clause 3, sub-clause (i) *vide* number G.S.R. 1052(E), dated the 22nd October, 2018;

Provided further that the aggregate value of such supplies, to be computed on all India basis does not exceed the amount of aggregate turnover above which a supplier is liable to be registered in the State in accordance with sub-section (1) of section 22 of the said Act, read with clause (iii) of the Explanation to that Section.

2. Such persons mentioned in the preceding paragraph shall obtain a Permanent Account Number and generate an e-way bill in accordance with the provisions of rule 138 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Rules, 2017.

3. This notification shall come into force with effect from the 23rd day of October, 2018.

अधिसूचना

22 नवम्बर, 2018 ई0

संख्या 1053/2018/10(120)/XXVII(8)/2018/CT–57–चूँकि, राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 06) (इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 51 सपठित धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, उत्तराखण्ड शासन वित्त अनुभाग–8 द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 858/2018/16(120)/XXVII(8)/2018/CT–50, दिनांक 27 सितम्बर, 2018 में, निम्नलिखित अग्रेत्तर संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं; अर्थात्–

अधिसूचना के पैरा में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्–

"परंतु उक्त अधिनियम की धारा 51 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन विनिर्दिष्ट व्यक्तियों के संबंध में इस अधिसूचना की कोई बात उपाबंध क (यथासंलग्न) में विनिर्दिष्ट प्राधिकारियों और उनके कार्यालयों से भिन्न रक्षा मंत्रालय के अधीन प्राधिकारियों को 01 अक्तूबर, 2018 से लागू नहीं होगी।"

संलग्नक–उपाबंध 'क'

अधिसूचना संख्या 1053/2018/10(120)/XXVII(8)/2018/CT–57 का उपाबंध 'क'

रक्षा लेखाओं के प्रधान नियंत्रकों/नियंत्रकों को आबंटित कूट संख्या

क्रम संख्या	नियंत्रक का पदनाम/कार्यालय	कूट संख्या
1	2	3
1.	रक्षा लेखा नियंत्रक, पटना	00
2.	रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक (पेंशन), इलाहाबाद	01
3.	रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक (ऑफिसर्स), पुणें	02
4.	रक्षा लेखा नियंत्रक (सेना), मेरठ	03
5.	रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक (दक्षिणी कमान), पुणें	04
6.	रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक, बेंगलुरु	05
7.	रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक (पश्चिमी कमान), चंडीगढ़	06
8.	प्रधान लेखा नियंत्रक (फेक्ट्री), कोलकाता	07
9.	रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक (वायु सेना), देहरादून	08
10.	रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक (नेवी), मुम्बई	09
11.	रक्षा लेखा नियंत्रक (निधि), मेरठ	10
12.	रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक (उत्तरी कमान), जम्मू	12
13.	जोनल कार्यालय (पेंशन संवितरण), चेन्नई	13
14.	लेखा कार्यालय, रक्षा लेखा विभाग, रक्षा मंत्रालय (सिविल), नई दिल्ली	14
15.	रक्षा लेखा नियंत्रक (कैन्टीन), मुम्बई	15
16.	रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक, नई दिल्ली	16
17.	रक्षा लेखा नियंत्रक, चेन्नई	18
18.	रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक (अनुसंधान एवं विकास), नई दिल्ली	19
19.	रक्षा लेखा नियंत्रक (पेंशन वितरण), मेरठ	20
20.	रक्षा लेखा नियंत्रक, गुवाहाटी	21
21.	रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक (मध्य कमान), लखनऊ	22
22.	रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक (सीमा सड़क), दिल्ली छावनी	23
23.	रक्षा लेखा नियंत्रक (अनुसंधान एवं विकास), बेंगलुरु	24

1	2	3
24.	रक्षा लेखा नियंत्रक, सिकंदराबाद	25
25.	रक्षा लेखा नियंत्रक, जबलपुर	26
26.	रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक (वायु सेना), नई दिल्ली	27
27.	रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक (अनुसंधान एवं विकास), हैदराबाद	28
28.	रक्षा लेखा महानियंत्रक, नई दिल्ली	29
29.	रक्षा लेखा नियंत्रक (IDS), नई दिल्ली	30
30.	रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक (दक्षिणी पश्चिमी कमान), जयपुर	31

अधिसूचना

22 नवम्बर, 2018 ई0

संख्या 1054/2018/10(120)/XXVII(8)/2018/CT–58–चूँकि, राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 06) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 45 और उत्तराखण्ड माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 81 के साथ पठित, उक्त अधिनियम की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, उन व्यक्तियों को, जिनका रजिस्ट्रीकरण उक्त अधिनियम के अधीन उचित अधिकारी द्वारा 30 सितम्बर, 2018 को या उसके पूर्व निरस्त कर दिया गया है, व्यक्तियों के वर्ग के रूप में अधिसूचित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, जो उक्त नियम के प्ररूप जीएसटीआर–10 में अन्तिम विवरणी 31 दिसम्बर, 2018 तक दाखिल करेंगे।

आज्ञा से,
अमित सिंह नेगी,
सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification **No. 1054/2018/10(120)/XXVII(8)/2018/CT-58**, dated November 22, 2018 for general information.

NOTIFICATION

November 22, 2018

No. 1054/2018/10(120)/XXVII(8)/2018/CT-58–WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by section 45 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (06 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), read with Section 148 of the said Act and rule 81 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter referred to as the said rules), on the recommendations of the Council, the Governor hereby is pleased to allow to notify as the categories of persons, whose registration under the said Act has been cancelled by the proper officer on or before the 30th September, 2018, as the class of persons, who shall furnish the final return in **FORM GSTR-10** of the said rules till the 31st December, 2018.

By Order,
AMIT SINGH NEGI,
Secretary.

विपिन चन्द्र,
अपर आयुक्त राज्य कर,
मुख्यालय, देहरादून।

कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), ऋषिकेश

आदेश

19 नवम्बर, 2018 ई0

पत्रांक 1263/ला0/निलम्ब0/2018–विभिन्न प्रवर्तन अधिकारियों/पुलिस अधिकारियों द्वारा चालन अनुज्ञप्ति के विरूद्ध की गई कार्यवाही की संस्तुति पर लाइसेन्सधारकों को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया। लाइसेन्सधारकों द्वारा संतोषजनक उत्तर न दिए जाने के कारण मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति के आदेशों के अनुपालन में सड़क सुरक्षा से सम्बन्धित अभियोग में अनुज्ञप्तियों के विरूद्ध जनसुरक्षा के दृष्टिगत रखते हुए, अनुज्ञापन प्राधिकारी के रूप में, डा0 अनीता चमोला, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, ऋषिकेश, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा–1 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित चालक अनुज्ञप्तियों को उनके सम्मुख अंकित अवधि तक अनर्ह करती हूँ:–

क्र0 सं0	लाइसेन्सधारक का नाम व पता	लाइसेंस संख्या/श्रेणी	संस्तुतिकर्ता अधिकारी	अभियोग	कृत कार्यवाही अनर्ह
1	2	3	4	5	6
1.	श्री ललन महतो पुत्र श्री भोला महतो, निवासी–शीशम झाडी, ऋषिकेश	यूके–1420099007947, हल्का मोटर वाहन, हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक)	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, टिहरी	भार वाहन में ओवर लोड	17.10.2018 से 16.01.2019 तक अनर्ह
2.	श्री राकेश पुत्र श्री राम सिंह, निवासी–शिवाजी नगर, बापू ग्राम, ऋषिकेश, देहरादून	यूके–1420140076453, हल्का मोटर वाहन, हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक)	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, टिहरी	भार वाहन में ओवर लोड	17.10.2018 से 16.01.2019 तक अनर्ह
3.	श्री मनोज सिंह पुत्र श्री गोरखा सिंह, निवासी–खाण्ड गाँव, रायवाला, देहरादून	यूके–1420130057668, कार, हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक), परिवहन यान	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, टिहरी	भार वाहन में ओवर लोड	17.10.2018 से 16.01.2019 तक अनर्ह
4.	श्री सचिन चमोली पुत्र श्री मोहन लाल चमोली, निवासी–बीस वीघा, ऋषिकेश	यूके–1420140068330, कार, हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक), परि0 यान	थानाध्यक्ष, पोंटा साहिब शिरमौर, हि0प्र0	शराब का सेवन कर, वाहन का संचालन करना	17.10.2018 से 16.01.2019 तक अनर्ह
5.	श्री प्रेम सिंह पुत्र श्री सूरत सिंह, निवासी–धारकोट, उत्तरकाशी	यूके–141992005906, कार, हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक)	पुलिस अधीक्षक, उत्तरकाशी	भार वाहन में सवारी ढोना	17.10.2018 से 16.01.2019 तक अनर्ह
6.	श्री महिमानन्द भट्ट पुत्र श्री देव राम भट्ट, निवासी–डूण्डा, उत्तरकशी	यूके–14199990041821, कार, हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक)	पुलिस अधीक्षक, उत्तरकाशी	भार वाहन में सवारी ढोना	17.10.2018 से 16.01.2019 तक अनर्ह
7.	श्री राम सिंह रावत पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह रावत, निवासी–104/10, देहरादून मार्ग	यूके–1420030052718, कार, हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक)	पुलिस अधीक्षक, चमोली	भार वाहन में ओवर लोड	17.10.2018 से 16.01.2019 तक अनर्ह

1	2	3	4	5	6
8.	श्री रवि कुमार पुत्र श्री जसवन्त सिंह, निवासी–119, दैशेवाला, डोईवाला, देहरादून	यूके–1420170104761, कार	थानाध्यक्ष, पोंटा साहिब शिरमौर, हि0प्र0	शराब का सेवन कर, वाहन का संचालन करना	17.10.2018 से 16.01.2019 तक अनर्ह
9.	श्री हेमेन्त कुमार पुत्र श्री हरि अरोडा, निवासी–137, बनखण्डी, ऋषिकेश	यूके–142002002192, कार	थानाध्यक्ष, पोंटा साहिब शिरमौर, हि0प्र0	ओवर स्पीड	27.10.2018 से 26.01.2019 तक अनर्ह
10.	श्री नवदीप सिंह पुत्र श्री दलविन्दर सिंह, निवासी–चक जोगीवाला, ऋषिकेश	यूके–1420080000636, मोटर साइकिल व कार	थानाध्यक्ष, पोंटा साहिब शिरमौर, हि0प्र0	शराब का सेवन कर, वाहन का संचालन करना	27.10.2018 से 26.01.2019 तक अनर्ह
11.	श्री अंकित सिंह पुत्र श्री विरेन्द्र सिंह, निवासी–18, शिवाजी नगर, ऋषिकेश	यूके–1420180003449, मोटर साइकिल व कार	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, टिहरी	मोबाइल का प्रयोग	27.10.2018 से 26.01.2019 तक अनर्ह
12.	श्री दीवान सिंह पुत्र श्री इन्द्र सिंह, निवासी–14 बीघा, मुनि की रेती, ऋषिकेश	यूके–1419920026568, कार, हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक), परिवहन यान	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, टिहरी	शराब का सेवन कर, वाहन का संचालन करना	27.10.2018 से 26.01.2019 तक अनर्ह
13.	श्री विक्रम थापा पुत्र श्री पम प्रसाद थापा, निवासी–रोशली खाल, चम्बा, टिहरी	यूके–1420050017448, हल्का मोटर वाहन, हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक)	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, टिहरी	भार वाहन में ओवर लोड	27.10.2018 से 26.01.2019 तक अनर्ह
14.	श्री जितेन्द्र सिंह पुत्र श्री बलजीत सिंह, निवासी–जीएमयू लि0, ऋषिकेश	यूके–1419960035326, हल्का मोटर वाहन, हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक)	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, टिहरी	भार वाहन में ओवर लोड	27.10.2018 से 26.01.2019 तक अनर्ह
15.	श्री शिवेन्द्र सिंह पुत्र श्री मेहताब सिंह निवासी–ग्राम डोगरी तगंशा, चमोली	यूके–1420050031491, हल्का मोटर वाहन, हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक)	पुलिस अधीक्षक, चमोली	भार वाहन में सवारी ढोना	27.10.2018 से 26.01.2019 तक अनर्ह
16.	श्री मनमोहन सिंह पुत्र श्री बचन दास, निवासी–46, आवास विकास कालोनी, ऋषिकेश	यूके–1420060048914, हल्का मोटर वाहन, हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक)	पुलिस अधीक्षक, उत्तरकाशी	भार वाहन में सवारी ढोना	27.10.2018 से 26.01.2019 तक अनर्ह
17.	श्री सुखदेव सिंह पुत्र श्री कमीरी लाल, निवासी–माजरी ग्राम लाल तप्पड, ऋषिकेश	यूके–1420100018284, हल्का मोटर वाहन, हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक)	थानाध्यक्ष, पोंटा साहिब शिरमौर, हि0प्र0	शराब का सेवन कर, वाहन का संचालन करना	27.10.2018 से 26.01.2019 तक अनर्ह

1	2	3	4	5	6
18.	श्री विनय पैन्यूली पुत्र श्री विशाल मणी, निवासी–4, ढालवाला, मुनि की रेती, टिहरी गढ़वाल	यूके–1420180002300, हल्का मोटर वाहन, हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक)	थानाध्यक्ष, कालाआम्ब शिरमौर, हि0प्र0	शराब का सेवन कर, वाहन का संचालन करना	27.10.2018 से 26.01.2019 तक अनर्ह
19.	श्री विवेक गुप्ता पुत्र श्री राजकुमार गुप्ता, निवासी–मायाकुण्ड, ऋषिकेश	यूके–14200900009684, हल्का मोटर वाहन, हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक)	सहा0संभ0परि0अ0, ऋषिकेश	मोबाइल का प्रयोग	27.10.2018 से 26.01.2019 तक अनर्ह
20.	श्री आशीष रतूडी पुत्र श्री ब्रिजमोहन रतूडी, निवासी–खदरी खडक, श्यामपुर, ऋषिकेश	5803/आरकेएस/2006, मोटर साइकिल	सहा0संभ0परि0अ0, ऋषिकेश	मोबाइल का प्रयोग	27.10.2018 से 26.01.2019 तक अनर्ह
21.	श्री राजू सक्सेना पुत्र श्री राम प्रकाश, निवासी–नेहरूग्राम, इन्द्रा नगर, ऋषिकेश	यूके–1420070061373, हल्का मोटर वाहन, हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक)	सहा0संभ0परि0अ0, ऋषिकेश	भार वाहन में सवारी ढोना	31.10.2018 से 30.01.2019 तक अनर्ह
22.	श्री हरीश कुमार पुत्र श्री लखपत सिंह, निवासी–संजु राणा गुमानीवाला, ऋषिकेश	यूके–1420170102077, मोटर साइकिल व कार	सहा0संभ0परि0अ0, ऋषिकेश	मोबाइल का प्रयोग	31.10.2018 से 30.01.2019 तक अनर्ह
23.	श्री शहनवाज पुत्र श्री भूरा हसन, निवासी–243, सराय ज्वालापुर, हरिद्वार	यूके–0820120083644, हल्का मोटर वाहन, हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक)	सहा0संभ0परि0अ0, ऋषिकेश	भार वाहन में ओवर लोड	17.10.2018 से 16.01.2019 तक अनर्ह
24.	श्री राम सिंह पुत्र श्री शिया सिंह, निवासी–टिगरा कलोनी, देवखेरा अलवर, राजस्थान	आरजे–0220130003904, हल्का मोटर वाहन, हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक)	सहा0संभ0परि0अ0, ऋषिकेश	ओवर स्पीड	17.10.2018 से 16.01.2019 तक अनर्ह
25.	श्री मोनू कुमार पुत्र श्री बाबूराम, निवासी–खोडा महाजन पुहाना, मुजफ्फरनगर, उ0प्र0	यूपी–1220110003107, हल्का मोटर वाहन, हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक)	सहा0संभ0परि0अ0, ऋषिकेश	मोबाइल का प्रयोग	17.10.2018 से 16.01.2019 तक अनर्ह
26.	श्री सादाब पुत्र स्व0 इस्टयाक, निवासी–99, काशवान, ज्वालापुर, हरिद्वार	यूके–0820130103579 हल्का मोटर वाहन, हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक)	सहा0संभ0परि0अ0, ऋषिकेश	भार वाहन में सवारी ढोना	27.10.2018 से 26.01.2019 तक अनर्ह

1	2	3	4	5	6
27.	श्री दरवार सिंह पुत्र श्री लाभ सिंह, निवासी–इन्द्रा कॉलोनी, देहरादून	यूए–0720080056986, हल्का मोटर वाहन, हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक)	सहा0संभ0परि0अ0, ऋषिकेश	मोबाइल का प्रयोग	31.10.2018 से 30.01.2019 तक अनर्ह
28.	श्री योगेन्द्र सिंह पुत्र श्री अमर सिंह, निवासी–बहमपुरी, हरिद्वार	यूके–0820020058025, हल्का मोटर वाहन, हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक)	सहा0संभ0परि0अ0, ऋषिकेश	भार वाहन में ओवर लोड	31.10.2018 से 30.01.2019 तक अनर्ह

डा0 अनीता चमोला,
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
ऋषिकेश।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 01 हिन्दी गजट/02–भाग 1–क–2019 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।